प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 4

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, अजमेर .... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022...............

प्र. इ. रि. स. ......425/2022...... दिनांक ....28/10/2022...........

2. (अ) अधिनियम ... **भ्रष्टाचार निवारण (सशोंधन) अधिनियम 2018 ......धारायें...7** ....

(ब) अधिनियम...धारायें. ....

(स) अधिनियम ....धारायें...

(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्यां ......495......समय.................. ....

(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 13.05.2022 ....

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 13.05.2022...

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिा पूर्व फासला 80 किलोमीटर ....

(ब) पता – ....गांव चौसला तहसील अराई जिला अजमेर...

बीट सख्या ....जरायमदेही सं.. ....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना...जिला...

6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम.... श्री जगदीश कुमावत ....

(ब) पिता का नाम .... हजारी जी कुमावत...

(स) जन्म तिथि /वर्ष ....50 साल...

(द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....

(य) पासपोर्ट सख्यां ....जारी होने की तिथी..........................

जारी होने की जगह...

(र) व्यवसाय...... ....प्राईवेट ....

(ल) पता ... गांव कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर ....

7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्री रमेश मीणा पुत्र श्री बिहारी लाल मीणा, उम्र 31 साल निवासी वीर तेजाजी नगर गली नम्बर 3 प्लॉट नम्बर 67 दौराई फाटक जिला अजमेर हाल पटवारी पटवार हल्का देवलिया कंला अ अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....................................

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

....

10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)...................

....

11 ....

विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 13.05.2022 को परिवादी श्री जगदीश कुमावत पुत्र श्री हजारी जी कुमावत जाति कुमावत उम्र 50 निवासी गांव कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर ने अपने भतीजे श्री रामराज पुत्र श्री घीसालाल उम्र 36 साल जाति कुमावत निवासी गांव कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर के साथ एसीबी कार्यालय अजमेर पर उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि "हमारे द्वारा मेरी पत्नि श्रीमती धन्नी देवी तथा भतीजे श्री रामराज पुत्र श्री घीसालाल के नाम से दिनांक 15.06.2021 को कुरथल गांव की सरहद स्थिति कृषि भूमि खसरा नम्बर 2446 रकबा 1.62 हैक्टर में से हिस्सा 64/162 व 98/162 विक्रेतागण श्री लादुलाल पुत्र मदनलाल वगैराह से जरिये दो पंजीयन विकय पत्र से खरीदा था। उक्त विकय के सम्बन्ध मे सत्यनारायण पुत्र मदन लाल ढोली (बारेठ) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र 25/2021 उपखण्ड कार्यालय भिनाय में दायर किया जिस पर उपखण्ड कार्यालय से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने पर राजस्व पटवारी कुरथल

द्वारा नामान्तरण के क्रम मे स्टे का अकंन किया गया। दिनांक 21.04.2022 को उपखण्ड अधिकारी भिनाय द्वारा इस निषेधाज्ञा को खारीज कर दिया गया। इस ऑर्डर की पालना करवाने तथा नामान्तरण मेरी पत्नि व रामराज के नाम खुलवाने हेतु पटवारी रमेश मीणा पटवार हल्का कुरथल के पास गया तो पटवारी रमेश मीणा ने स्टे का नोट हटाने तथा नामान्तरण खोलने की एवज में मेरे से एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की तो मैने उससे कहा कि मेरे भतीजे रामराज से बात करके बताउंगा। मैने मेरे भतीजे रामराज से बात की तो हमने पटवारी रमेश मीणा को रिश्वत नही देकर रिश्वत लेते हुये पकडवाने का निर्णय लिया है। हमारे सही काम के बदले पटवारी रमेश को रिश्वत नही देना चाहते है। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। '' प्रार्थना पत्र के क्रम में अग्रिम कार्यवाही मन् उप अधीक्षक द्वारा ही सम्पादित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्य सही होना बताते हुये अवगत करवाया श्री रमेश मीणा पटवारी से किसी प्रकार की रंजिश नही होना बताते हुये किसी प्रकार के उधार के लेनदेन से भी इंकार किया गया। परिवादी ने बताया कि रमेश मीणा को यदि हम रिश्वत नही देंगें तो वह स्टे का नोट नही हटायेगा तथा हमारी विपक्षी पार्टी इस मामले मे अपील दायर कर पुनः स्टे ऑडर जारी करवा सकती है। हमारी खरीद शुदा भूमि पर वर्तमान में कोई स्टे नही है फिर भी रमेश मीणा हमसे रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये स्टे का नोट नही हटा रहा है जबकि यह हमारी बिलकुल ही जायज काम है। हम हमारे जायज कार्य के बदले मे पटवारी रमेश मीणा को रिश्वत नही देना चाहते है। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे पूछने पर अपने भतीजे रामराज से ही लिखवाना तथा प्रार्थना पत्र पर अपने व रामराज के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी द्वारा अपने भतीजे रामराज का कार्यवाही मे अपने साथ ही रहना अवगत करवाया। रामराज द्वारा परिवादी के कथनो की ताईद की। पूछने पर जगदीश पटवारी से किसी भी तरह के उधार के लेनदेन व रजिंश से इंकार किया। रिपोर्ट परिवादी व दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया लोकसेवक द्वारा रिश्वत की मांग का पाया जाने पर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध मे अवगत करवाया गया तो परिवादी ने बताया कि आज पटवारी जी रमेश जी तहसील भिनाय या उप तहसील देवलिया कंला मिल सकते है। आज ही जाकर उनसे बातचीत की जा सकती है। कार्यालय की अलमारी मे से वार्यस रिकॉर्डर मय नये मैमोरी कार्ड सहित मंगवाकर वार्यस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की समझाईश परिवादीगणो को दी गई । समय 11.30 पीएम पर कानि0 श्री रविन्द्र सिंह को कक्ष में बुलाकर परिवादी व सहपरिवादी से आपस मे परिचय करवाया जाकर मोबाईल नम्बरो का आदान प्रदान करवाया तथा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादीगण के साथ जाने हेतु निर्देशित किया गया। समय 12.00 पीएम कानि0 श्री रविन्द्र सिंह को वार्यस रिकॉर्डर जिसमें नया उक्त मैमोरी कार्ड डालकर वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाने हेतु सुपुर्द किया जाकर परिवादीगण के साथ भिनाय/देवलिंया कला के लिये रवाना किया गया। समय 07.00 पीएम कानि0 श्री रविन्द्र सिंह कार्यालय मे उपस्थित आया तथा अवगत करवाया कि अजमेर से मै मेरी मोटर साईकिल से परिवादीगण अपनी मोटर साईकिल से रवाना होकर हम देवलिया कंला गये। वंहा पर पटवारी की लोकेशन के बारे मे परिवादी द्वारा अपने स्तर पर मालूम किया तो उसका उप तहसील कार्यालय देवलिया कंला में ही आने की जानकारी प्राप्त होने पर पटवारी के उप तहसील कार्यालय देवलिया कंला मे आने की जानकारी होने पर परिवादी को वार्यस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जाकर वार्ता हेतु भिजवाया गया। मै उप तहसील के आसपास की अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकीम रहा। परिवादी जगदीश व सह परिवादी रामराज आरोपी पटवारी रमेश चन्द पटवारी से वार्ता कर मेरे पास आये। मेरे द्वारा रिकॉर्ड मे दर्ज वार्ता को सुना गया तो उसमे रिश्वत सम्बन्धित वार्तालाप दर्ज होना पाया गया। परिवादी व सह परिवादी को साथ ही अजमेर चलने हेतु कहा गया तो परिवादी व सह परिवादी ने कहा अभी हमे कोई काम है इसलिये हम आपके साथ नही चल सकते है तथा मंगलवार को रिश्वत राशि का आदान प्रदान होना है हम सोमवार को आपके ऑफिस आ जायेंगें। आपसे वार्ता कर परिवादी व सह परिवादी को देवलिया कंला मे छोड कर मै कार्यालय मे उपस्थित आया। श्री रविन्द्र सिंह द्वारा वार्यस रिकॉर्डर पेश किया जिसे चालू कर सुना गया तो उसमें रिश्वत राशि सम्बन्धित वार्तालाप दर्ज होना पाया गया। वार्यस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के मैने मेरी अलमारी मे सुरक्षित रखा। दिनांक 17.05.2022 समय 10.30 ए.एम पर श्री रविन्द्र सिंह कानि ने अवगत करवाया कि उसकी परिवादी से मोबाईल फोन पर वार्ता हुई है तो परिवादी ने बताया कि मैने आज मालूम करवाया तो पटवारी रमेश मीणा आज यंहा पर मौजूद नही है।

इसलिये रिश्वत राशि लेनदेन की कार्यवाही आज नही हो सकती है। दिनांक 18.05.2022 समय 11.45 ए.एम पर परिवादी से जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि मै और रामराज तहसील कार्यालय गये थे वंहा पर हमें रमेश मीणा पटवारी मिला तथा हमने उससे बात की तो उसने कहा कि आपका काम करने के बाद में ही मै आपसे पैसे लूंगा तथा उसने कहा कि अभी आपका काम होने मे 15–20 दिन लगेंगे। परिवादी श्री जगदीश व श्री सह परिवादी से कई मर्तबा जरिये मोबाईल फोन वार्ता की गई तो मोबाईल फोन रिसीव नही किये गये। दिनांक 06.07.2022 को पुनः सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि उसका नामान्तरण खुल गया है तथा पटवारी अब उससे रिश्वत नही मांग रहा है। परिवादं को हिदायत दी गई कि एसीबी कार्यालय मे उपस्थित आवे। परिवादी ने बताया कि अभी बरसात का मौसम है तथा आवश्यक घरेलु कार्य होने से आने मे असमर्थ हूं इसलिये 5–7 दिन बाद उपस्थित हो जाउंगा। दिनांक 25.08..2022 समय 02.30 पीएम पर परिवादी श्री जगदीश व सह परिवादी श्री रामराज कार्यालय मे उपस्थित आये। श्री जगदीश ने अवगत करवाया कि पिछले दिनो मे मै मेरे घरेलु आवश्यक कार्य से बाहर गया हुआ था तथा बाद मे बरसात का मौसम हो जाने के कारण मै आपके पास उपस्थित नही आ पाया था। परिवादी ने आगे बताया कि अब मेरा काम भी हो गया है। इसलिये पटवारी मेरे से रिश्वत राशि नही लेगा। दिनांक 13.05.2022 को पटवारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रासंक्रिप्ट के सम्बन्ध मे बताने पर परिवादीगणो ने अपनी सहमति प्रदान की। समय 03.00 पीएम फर्द ट्रासंक्रिप्ट मुर्तिब की जानी है। जिस पर पूर्व से अन्य कार्यवाही मे पाबन्द गवाहो को जरिये मोबाईल फोन कार्यालय उपस्थित आने के निर्देश दिये गये। समय 03.00 पीएम पर गवाह श्री भरत मित्तल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद मित्तल जाति अग्रवाल उम्र 32 साल निवासी मकान नम्बर 141, ज्ञान विहार कॉलोनी, पुष्कर रोड अजमेर हाल सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग अजमेर व श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री सुखपाल जाति रैगर उम्र 32 निवासी गांव सराधना पुलिस थाना मांगलियावास जिला अजमेर हाल कार्यालय संयुक्त निदेशक, सूचना सहायक राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग अजमेर कार्यालय मे उपस्थित आये। परिवादी व सहपरिवादी का आपस मे परिचय करवाया जाकर। गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.05.2022 पढकर सुनाया व दिखाया गया। प्रार्थना पत्र गवाहो के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मैमोरी कार्ड अलमारी मे से निकाला जाकर उसे वायॅस रिकॉर्डर मे डाला जाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य अंश चलाकर गवाहान को सुनाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रासंक्रिप्ट बनाई जानी है उक्त प्रयोजनार्थ गवाहो द्वारा अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। दिनांक 25.08.20222 समय 03.30 पी.एम. रूबरू गवाहान, बमौजूदगी परिवादी के रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में ड़ाला जाकर वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर शब्द–ब–शब्द सुन सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री गोविन्द सहाय कानि नम्बर 01 से टाईप करवायी जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की कार्यालय के कम्प्युटर की सहायता से दो डीवीडी कमशः अनुसंधान अधिकारी एवं आरोपी हेतु तैयार की गयी। दोनो डीवीडी को पृथक पृथक बिना शिल्ड कागज के लिफाफे में सुरक्षित रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड 16 जीबी कम्पनी Sandisk को वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर मूल मैमोरी कार्ड को रखकर सफेद कपडे की थेली में सिल्ड किया जाकर मार्क "एम" अंकित किया गया। सफेद कपडे की थैली पर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये। दिनांक 25.08.2022 समय 06.15 पीएम पर परिवाद,सह परिवादी व गवाहान को रूख्सत किया गया। सील्ड शुदा मैमोरी कार्ड व आरोपी की डीवीडी मालखाना प्रभारी को सुपुर्द की गई।

इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, परिवादीगण व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से पाया गया है आरोपी श्री रमेश मीणा पुत्र श्री बिहारी लाल मीणा, उम्र 31 साल निवासी वीर तेजाजी नगर गली नम्बर 3 प्लॉट नम्बर 67 दौराई फाटक जिला अजमेर हाल पटवारी पटवार हल्का देवलिया कंला अ अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर द्वारा परिवादी जगदीश की पत्नि श्रीमती धन्नी देवी व सहपरिवादी श्री रामराज की राजस्व गांव कुरथल गांव स्थिति कृषि भूमि खसरा नम्बर 2446 रकबा 1.62 हैक्टर में से हिस्सा 64/162 व 98/162 मे खरीद शुदा भूमि के राजस्व विवाद

के प्रार्थना पत्र 25/2021 में उपखण्ड कार्यालय से अस्थाई निषेधाज्ञा को खारीज किया गया। उक्त ऑर्डर की पालना करवाने तथा नामान्तरण परिवादी की पत्नि श्रीमती धन्नी देवी व सह परिवादी रामराज के नाम खोलने की एवज में एक लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 13.05.2022 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिश्वत की बात करते हुये रिश्वत राशि बाबत "**भाई साहब को बताने**" " **विचार बताओ भाई आपका कोई विचार तो होगा कि भाई इतना देंगें तो हो जायेगा काम नही तो नही**" परिवादी द्वारा यह कहना कि "**लास्ट बता दो**" इस पर आरोपी द्वारा कहा गया कि " **आप बता दो फिर मै देख लूंगा आपको बेराजी नही करेगें,राजी राजी ही लेंगें**" आरोपी द्वारा वार्ता में कहा गया कि "**तो बताओ फिर,बोलो**" इस पर परिवादी द्वारा कहा गया कि "**बीस रख लो साहब** " परिवादी द्वारा बीस मे डन करने की कहने पर आरोपी द्वारा कहा गया कि **वो देख लेंगें अपन** तथा रिश्वत राशि कब दूं ये की कहने पर आरोपी द्वारा यह कहा गया कि "मै बता दूंगा आपको पहले स्टे तो हटाने दो इसमे।" अतः आरोपी श्री रमेश मीणा,पटवारी द्वारा परिवादीगण से रिश्वत की मांग करना पाया गया है, जो आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित किये जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।

(प्रभुलाल कुमावत)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रभुलाल कुमावत, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री रमेश मीणा पुत्र श्री बिहारी लाल मीणा, पटवारी, पटवार हल्का देवलिया कलां अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का कुरथल, तहसील भिनाय जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 425/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3694-98 दिनांक 28.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
4. जिला कलक्टर, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

28.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।